प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रेडियन्ट पब्लिक स्कूल,
कल्लीपश्चिम,समाखेड़ा,रायबरेली रोड,लखनऊ।

पत्रांक/बेसिक–एस०टी०/ 198 /2016–17,दिनांक– 22.4.16

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2016–17 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से जू०हा०स्कूल (नर्सरी से कक्षा 8 तक)स्तर तक(अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2)तथा नियमावेली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को,उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(1)प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना,

(6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है,पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,

(8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर मूल्यांकन का पालन करेगा।

PRINCIPAL
RADIANT PUBLIC SCHOOL
Ekta Nagar, Raebareli Road
Nr. S.G.P.G.I., Lko.-226030

MANAGER
RADIANT PUBLIC SCHOOL
EKTA NAGAR, LUCKNOW

प्राचार्य/PRINCIPAL
जवाहर नवोदय विद्यालय
Jawahar Navodaya Vidyalaya
खैराबाद/Khairabad
सीतापुर/Sitapur

29/6/16

To,
Basic Shiksha Adhikari
Lucknow
Uttar Pradesh

Sir,

With due respect, I beg to inform you that CBSE vide their circular dated 08.07.2013 has amended Affiliation Bye-Laws of the Board for their affiliation (Copy enclosed).

In this connection, I beg to inform you that our school is Affiliated Pre Primary to Class 8th from Uttar Pradesh Government Letter No. Basic/S.T./198/2016-17 Dated 22-04-2016 and we have applied for Provisional affiliation upto Secondary Level.

This is for your kind information please.

Thanking You

Yours faithfully

Encls : As above

Manager
Radiant Public School
... Sabakhera,
Rai Bareli Road, Lucknow

उपायुक्त/Deputy Commissioner
केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office, Sec.-J, Aliganj
लखनऊ-226024/Lucknow-226024

PRINCIPAL
RADIANT PUBLIC SCHOOL
..., LUCKNOW

MANAGER
RADIANT PUBLIC SCHOOL
..., LUCKNOW

प्राचार्य/Principal
..., Kanpur

प्राचार्य/PRINCIPAL
जवाहर नवोदय विद्यालय
Jawahar Navodaya Vidyalaya
खैराबाद/Khairabad
सीतापुर/Sitapur

PRINCIPAL
RADIANT PUBLIC SCHOOL
Ekta Nagar, Raebareli Road
Near S.G.P.G.I., Lko.-226030

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AD 409412

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AFFIDAVIT

Before
Secretary
Central Board of Secondary Education
Shiksha Kendra, 2 Community Centre
Preet Vihar, Delhi-110092

I, **Snehlata Singh D/o Mr. B. D. Singh R/o Vill- Chandai, Charuhar, Dalmau, Raibareli .**

That the deponent is the Manager of **Radiant Public School Kalli Pachim, Saba khera, Raebareli Road Lucknow,** and has informed to the Basic Shiksha Adhikari 29-06-2016 that the school has applied for provisional affiliation upto Secondary Level.

Deponent

VERFICATION

The deponent do hereby verify that contents of above matter of this affidavit are true to my personal Knowledge signed and verified on this 30-06-2016 at Lucknow

Deponent

NOTARY
R. K. VERMA
Lko.Hd. Office
31 (06) 1990
GOVT. OF U.P. (INDIA)

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
04/03/2017
R. K. VERMA
ADVOCATE & NOTARY
LUCKNOW (U.P.)

Identified the deponent who has signed before T. I.

प्राचार्य / PRINCIPAL
जवाहर नवोदय विद्यालय
Jawahar Navodaya Vidyalaya

उपायुक्त/Deputy Commissioner
केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
क्षेत्रीय कार्यालय, सेक्टर-J, अलीगंज/Regional Office, Sec.-J, Aliganj
लखनऊ-226024/Lucknow-226024

RADIANT PUBLIC SCHOOL
Snehlata Singh
Manager
Ekta Nagar, Lucknow

04/03/17

प्राचार्य/Principal
के.वि.... आज़ाद नगर, कानपुर/K.V. Azad Nagar, Kanpur
मैनावती मार्ग, कानपुर/Mainawati Marg, Kanpur

PRINCIPAL
RADIANT PUBLIC SCHOOL
Ekta Nagar, Raebareli Road
Near S.G.P... ...0-22...0

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानदण्डों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 43700 वर्ग फिट
कुल निर्मित क्षेत्रफल– 19800 वर्ग फिट
क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल– पर्याप्त है।
कक्षाओं की संख्या– 10
कार्यालय–सहकार्यालय– सहभण्डार के लिए कक्ष–04
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई–एक
बाधारहित पहुँच–उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।

9–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उससे बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलाई जाएगी।

10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या खेल–मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 182 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

17–शासनादेश दिनांक 08–8–2013 में दिए गए समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(प्रवीण मणि त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ0सं0एवं तिथि–उपरोक्त।
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1–जिलाधिकारी,लखनऊ।
2–मुख्य विकास अधिकारी,लखनऊ।
3–शिक्षा निदेशक(बेसिक)उ0प्र0,लखनऊ/इलाहाबाद।
3–सचिव,उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
4–जिला समाज/जिला अल्पसंख्यक/जिला पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,लखनऊ।
5–उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर/ग्रामीण,लखनऊ।
6–कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

PRINCIPAL
RADIANT PUBLIC SCHOOL
Ekta Nagar, Raebareli Road
Near S.G.P.G.I., Lko.-226030

PRINCIPAL